अपील सूचना अधिकार संख्या 169/2020 (RCMS 2020/00298) रामचन्द्र पुत्र लालाराम गांव खाटां तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर –335021 बनाम उपखण्ड अधिकार, रायसिंहनगर

22.09.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी रामचन्द्र उपस्थित नहीं है। **मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने** अपना प्रार्थना पत्र दिनांक 20.11.2020 से लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलक्टर, रायसिंहनगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने के लिए यह अपील पेश की है।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र 20.11.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

1. रायसिंहनगर विधानसभा क्षेत्र की नामावली ग्राम पंचायत खाटां के गांव खाटां, वार्ड नम्बर 1, 2, 3 सन् 1971 भाग संख्या 214 सन 1975 भाग संख्या 281ए सन 1979 व 1983 क्रम संख्या 58, सन 1988 व 1983 क्रम संख्या 21 मतदाता सूची की प्रमाणित सूंची की प्रमाणित सूदा नकल
2. गांव खाटां [illegible] मुरब्बा [illegible] 171 रामप्रताप पुत्र नानूराम जा[illegible] आवटन मूल पत्रावली की प्रमाणित सूदा नकल

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:14:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 169/2020

3. गांव खाटां बरानी मुरब्बा नम्बर 154 मोहन लाल पुत्र चेतराम जाति जाट गांव खाटां की आवंटन मूल पत्रावली की प्रमाणित सूदा नकल

उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपने पत्रांक सू.का.अ./20/1831 दिनांक 10.12.2020 से प्रार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रायसिंहनगर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची की वार्ड वाईज प्रमाणित प्रति चाही गई है। रामप्रताप पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी खाटां तथा मोहनलाल पुत्र चेतराम जाति जाट निवासी खाटां की आवंटन पत्रावली की प्रमाणित प्रति चाही है। उपरोक्त आवंटन से सम्बन्धित प्रकरण संख्या व आवंटन की तिथि अंकित नहीं की गई है जिसके अभाव में चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती है। उपरोक्त सूचना जिस प्रारूप में आप द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती है। उपरोक्त सूचना जिस प्रारूप में आप द्वारा चाही गई है आरटीआई की धारा 2(च) के तहत देय नहीं है। राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(च) में सूचना से अभिप्रेत है किसी रूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रोनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रेस

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:14:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 169/2020

विज्ञप्ति, परिपत्र आदेश, लॉग बुक, संविदा रिपोर्ट कागज पत्र नमूने, मॉडल आंकड़ो संबंधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर होने के कारण उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती है।

इस संबंध में आपको कोई उज्र हो तो 30 दिवस में प्रथम अपील श्रीमान् जिला कलक्टर,श्रीगंगानगर के न्यायालय में कर सकते है।

-sd-

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं का जवाब उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा अपने पत्रांक 1831 दिनांक 10.12.2020 से उक्तानुसार अपीलार्थी को दिया जा चुका है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो** और प्रश्नात्मक रूप में नहीं होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:14:08 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते । सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नही है। लोक सूचना अधिकारी ने अपीलार्थी को दिनांक 10.12.2020 को बिन्दु संख्या 2 व 3 की हद तक सही है और **अपीलार्थी के बिन्दु संख्या 01 सम्बन्ध में प्रकरण रिमाण्ड किया जाता है, इस बिन्दु पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत आदेश प्राप्ति के 10 दिवस के भीतर निर्णय प्रार्थी को सूचित किया जाये और वांछित सूचना अगर देय हो तो उसे नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे।**

अतः उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है **आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे, पत्रावली बाद तकमील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 09.[illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:14:08 IST
Reason: SelfAttested

(जाकिर हुसैन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर